**कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड**
**विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001**
Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 544 /XXV–12(1–5)/2008 देहरादूनः दिनांक 10 अप्रैल, 2018.

सेवा में,

श्री जीवन सिंह,
निवासी आरोग्य मेडिकल स्टोर अस्पताल,
तिराहा, दुग बाजार, बागेश्वर।

**विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

उपरोक्त विषयक अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी उत्तराखण्ड शासन अनुभाग–7 के पत्र संख्या– 67/XXVII(7)48(46)/2018 दिनांक 06 अप्रैल, 2018 जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के क्रम में सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–02 एवं बिन्दु संख्या– 03 में चाही गयी वांछित सूचना निम्नानुसार प्रेषित है।

| | |
|---|---|
| बिन्दु संख्या–02 | दिनांक 04 जनवरी, 2017 से दिनांक 15 मार्च, 2017 तक निर्वाचन संबंधी आचार संहिता लागू थी। |
| बिन्दु संख्या–03 | नही |

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

**विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं**
**सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड**
**04–सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून।**

भवदीय,

B. S. Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्याः — /xxvii(7)48(46)/2018
देहरादूनः दिनांक06 अप्रैल, 2018

कार्यालय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी
पत्र प्राप्ति का दिनांक– 6/4/2018
रजिस्टर क्रमांक–239 पत्रावली संख्या–

श्री जीवन सिंह,
निवासी आरोग्य मेडिकल स्टोर अस्पताल,
तिराहा, दुग बाजार बागेश्वर।

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 24.03.2018, जो इस कार्यालय को दिनांक 03.04.2018 को प्राप्त हैं, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. आवेदन के बिन्दु संख्या–01 से 07 तक के सम्बन्ध में सूचना निम्नवत् उपलब्ध कराई जा रही हैः–

| क0 सं0 | आवेदन पत्र में वांछित सूचना के सम्बन्ध में | उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना/अभिलेख |
|---|---|---|
| 1. | राज्य सरकार से सरकारी सेवकों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–11 दिनांक 17.02.2017 कौन सा विधान सभा सत्र में पास हुआ और कौन सेक्रेटी ने रिर्पोट प्रस्तुत की ? | प्रकरण विधान सभा में प्रस्तुत नहीं हुआ है। अतः सूचना धारित नहीं है। |
| 2. | उत्तराखण्ड विधान सभा चुनाव, 2017 आचार संहिता कब से कब तक लागू थी ? | लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–6(3) के अन्तर्गत अन्तरित। |
| 3. | क्या आचार संहिता के दौरान शासनादेश पास हो सकते हैं ? | लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–6(3) के अन्तर्गत अन्तरित। |
| 4. | उत्तराखण्ड विधान सभा चुनाव, 2017 आचार संहिता के दौरान कितने शासनादेश पास हुए और इसमें से कितने शासनादेश लागू किये गये और कितने शासनादेश को निरस्त किया गया ? | सूचना विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होनी प्रतीत हो रही है। कृपया सम्बन्धित विभागों के लोक सूचना अधिकारियों से सूचना प्राप्त करना चाहें। |
| 5. | सरकारी सेवकों के लिए संशोधित सुनिश्चित प्रोन्नयन योजना 10+20+30 योजना लागू शासनादेश संख्या–11 दिनांक 17.02.2017 को पास कराते समय क्या माननीय राज्यपाल महोदय से अनुमति ली गयी ? | सूचना प्रश्नोत्तरी के रूप में है। सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना उचित प्रतीत होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 2(च) व 2(झ) में अभिलेख के रूप में धारित सूचना ही दिये जाने की व्यवस्था विद्यमान है। |
| 6. | राज्य सरकार सरकारी सेवकों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना 10+20+30 योजना लागू शासनादेश संख्या–11 दिनांक 17.02.2017 आचार संहिता के दौरान किस नियम के तहत पारित किया गया ? | सूचना प्रश्नोत्तरी के रूप में है। सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना उचित प्रतीत होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 2(च) व 2(झ) में अभिलेख के रूप में धारित सूचना ही दिये जाने की व्यवस्था विद्यमान है। |
| 7. | उत्तराखण्ड सरकार के पास ऐसे कौन सी परेशानी थी जो आचार संहिता के दौरान राज्य सरकारी सेवकों के लिए संशोधित सुनिश्चित प्रोन्नयन योजना 10+20 +30 योजना लागू किया गया ? | सूचना प्रश्नोत्तरी के रूप में है। सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना उचित प्रतीत होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 2(च) व 2(झ) में अभिलेख के रूप में धारित सूचना ही दिये जाने की व्यवस्था विद्यमान है। |

3. यदि आप उक्त सूचना से सन्तुष्ट नहीं हो तो निम्नवत् पते पर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निर्धारित समायान्तर्गत अपील कर सकते हैं।

अरूणेन्द्र सिहं चौहान,
अपर सचिव/प्रथम अपीलीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड़ शासन, तृतीय तल, कक्ष संख्याः–317,
योजना भवन, सचिवालय, देहरादून ।

(सुरेन्द्र सिंह नेगी)
अनुभाग अधिकारी/
लोक सूचना अधिकारी ।

संख्या– 67/XXVii(7)48(46)/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित श्री जीवन सिंह का पत्र दिनांक 24.03.2018 के बिन्दु–2 व 3 की सूचना अपने स्तर से देने का कष्ट करें।
2. वित्त अधिकारी, सचिवालय प्रशासन, लेखा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को रू0 50/– का पोस्टल आर्डर संख्या–90G 504067 राजकोष में जमा करने हेतु प्रेषित।

(सुरेन्द्र सिंह नेगी)
अनुभाग अधिकारी/
लोक सूचना अधिकारी।

सं० R- [xxvii (7)/48(46)/2016]

सूचना का अधिकारप्राप्ति हेतु आवेदन-पत्र::

| | |
|---|---|
| 1. आवेदक का नाम | जीवन सिंह । |
| 2. पिता का नाम | श्री प्रताप सिंह । |
| 3. संपर्क का पूरा पता- | निवासी आरोग्य मेडिकल स्टोर अस्पताल तिराहा, दुग बाजार बागेश्वर । |
| 4. इच्छित सूचना का स्पष्ट विवरण-- | 1. राज्य सरकार से सरकारी सेवकों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना लागू किये जाने के संबंध में शासनादेश सं0-11 दिनांक 17.2.2017 कौन सा विधान सभा सत्र में पास हुआ और कौन सेकेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की ?<br>2. उत्तराखण्ड विधान सभा चुनाव 2017 आचार संहिता कब से कब तक लागू थी ?<br>3. क्या आचार संहिता के दौरान् शासनादेश पास हो सकते हैं ?<br>4. उत्तराखण्ड विधान सभा चुनाव 2017 आचार संहिता के दौरान् कितने शासनादेश पास हुए और इसमें से कितने शासनादेश लागू किये गये और कितने शासनादेश को निरस्त कियागया ?<br>5. सरकारी सेवकों के लिए संशोधित सुनिश्चित प्रोन्नयन योजना 10+20+30 योजना लागू शासनादेश सं0-11 दि0-17-2-2017 को पास करते समय क्या माननीय राज्यपाल महोदय से अनुमति ली गयी ?<br>6. राज्य सरकार सरकारी सेवकों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना 10+20+30 योजना लागू शासनादेश सं0-11 17-2-2017 आचार संहिता के दौरान् किस नियम के तहत पारित किया गया ?<br>7. उत्तराखण्ड सरकार के पास ऐसे कौन सी परेशानी थी जो आचार संहिता के दौरान् राज्य सरकारी सेवकों के लिए संशोधित सुनिश्चित प्रोन्नयन योजना 10+20+30 योजना लागू किया गया ? |
| 5. संबंधित विभाग का नाम | सूचनाधिकारी वित्त सचिव उत्तराखण्ड सरकार वित्त विभाग अनुभाग-7 |
| 6. आवेदन शुल्क जमा करने का विवरण- | 10/-रू0 का नान जुडिशियल स्टाम्प संलग्न तथा 50/-का पोस्टल आर्डर । |
| 7. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का | -----x |
| 8. आवेदन-पत्र जमा करने का दिनांक | 24.03.2018. |
| 9. आवेदक के हस्ताक्षर-- | जीवन |

4 जनवरी से 15 मार्च 2017 तक

50

नहीं

ह० [signature]
03.4.2018

Prakash Chandra Joshi
स्टाम्प विक्रेता
ID No. Uk1239804
Rs.

# INDIA NON JUDICIAL

# Government of Uttarakhand

## e-Stamp

सत्यमेव जयते

| | | |
|---|---|---|
| **Certificate No.** | : | IN-UK58982000735889Q |
| Certificate Issued Date | : | 24-Mar-2018 11:45 AM |
| Account Reference | : | NONACC (SV)/ uk1239804/ BAGESHWAR/ UK-BG |
| Unique Doc. Reference | : | SUBIN-UKUK123980418912390691831Q |
| Purchased by | : | JEEWAN SINGH SON PRATAP SINGH KATHYATBARA BGR |
| Description of Document | : | Article 4 Affidavit |
| Property Description | : | NA |
| Consideration Price (Rs.) | : | 0 (Zero) |
| First Party | : | JEEWAN SINGH SON PRATAP SINGH KATHYATBARA BGR |
| Second Party | : | NA |
| Stamp Duty Paid By | : | JEEWAN SINGH SON PRATAP SINGH KATHYATBARA BGR |
| Stamp Duty Amount(Rs.) | : | 10 (Ten only) |

Please write or type below this line

केवल
सूचना
के
अधिकार
के प्रयोजनार्थ:---- ह0-

**Statutory Alert:**
1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.